



Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

© Govt. of Haryana

Published by Authority

CHANDIGARH TUESDAY, DECEMBER 12, 2000 (AGRAHAYANA 21, 1922 SAKA)

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2000

संख्या 6454-पप-5-2000/14197.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984, (1984 का 52) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुये, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् का गठन करते हैं, अर्थात्—

- (अ) 1. डा० ओम प्रकाश चुध, वाडं नं० 4, नजदीक सुपर बाजार
बरवाला, हिसार
(पंजीकरण संख्या 565)
2. डा० नरेन्द्र सिंह मान, मकान नं० 46, फैंडस कालोनी, हिसार
(पंजीकरण संख्या 698)
3. डा० हरवीर सिंह राठी, गांव व डाकखाना घडोठी, तहसील व
जिला रोहतक
(पंजीकरण संख्या 076)
4. डा० नरेन्द्र सिंह, 529-डी, माडल टाऊन, करनाल
(पंजीकरण संख्या 1006)

इनका चुनाव धारा 32(1) (क) के अधीन किया गया है तथा अधिसूचना संख्या 461, दिनांक 6 दिसम्बर, 2000 द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

- (आ) 1. अध्यक्ष, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह,
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

पदेन-सदस्य

- (इ) 1. डा० सज्जन सिंह, पशु चिकित्सक, आर०ई० पार्टी, रोहतक
(पंजीकरण संख्या 103)
2. डा० विरेन्द्र सिंह, परियोजना निदेशक, अश्व उत्पादन केन्द्र,
हिसार (पंजीकरण संख्या 1070)
3. डा० राम प्रताप, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु हस्पताल,
सिरसा (पंजीकरण संख्या 198)

धारा 32 (1) (म) के अधीन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

- (ई) निदेशक, पशु पालन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ... पदेन-सदस्य
- (उ) डा० प्रदीप सिंह, पशु चिकित्सक, गांव खंगेसरा, डाकखाना ... धारा 32(1)(इ) के अधीन राज्य
कोट बाया बरवाला, जिला पंचकुला
(पंजीकरण संख्या 599) ... पशु चिकित्सा संघ द्वारा मनोनीत
- (ऊ) रजिस्ट्रार, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् ... पदेन सदस्य

2. यह परिषद् हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा यथावत ग्रहण किया गया भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगी।

3. हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा तथा इसका कार्यकाल भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 38 के उपबन्धों के अनुसार राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी करने की तिथि से होगा।

4. परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बैठक परिषद् द्वारा निर्धारित समय व स्थान पर होगी तथा बैठक की कार्यवाही का विवरण सीधे सरकार को भेजा जाएगा।

बीना ईंगल्टन,

विलायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशु पालन विभाग, चण्डीगढ़।

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Notification

The 12th December, 2000

No. 6454-AH-5-2000/14197.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby constitutes the Haryana Veterinary Council, consisting of the following members, namely:—

- | | | |
|--|---|---|
| (A) 1. Dr. Om Parkash Chugh, Ward No. 4, near Super Bazar, Barwala (Hisar)
(Registration No. 565) | } | Elected under Section 32(1)(a) and notified in the official Gazette,—vide Notification No. 461, dated the 6th December, 2000. |
| 2. Dr. Narinder Singh Mann, House No. 46, Friends Colony, Hisar
(Registration No. 698) | | |
| 3. Dr. Harbir Singh Rathee, Village & Post Office Gharothi, tehsil and district Rohtak
(Registration No. 076) | | |
| 4. Dr. Narinder Singh, 529-D, Model Town, Karnal
(Registration No. 1006) | | |
| (B) 1. Dean, College of Veterinary Sciences, Chaudhary Charan Singh, Haryana Agriculture University, Hissar | | Ex-officio Member |
| (C) 1. Dr. Sajjan Singh, Veterinary Surgeon, RE Party, Rohtak,
(Registration No. 103) | } | Nominated by State Government under Section 32(1)(c) |
| 2. Dr. Virender Singh, Project Director, Equine Production Centre, Hisar
(Registration No. 1070) | | |
| 3. Dr. Ram Partap, Veterinary Surgeon, Civil Veterinary Hospital, Sirsa
(Registration No. 198) | | |

(D) The Director, Animal Husbandry Department, Haryana *Ex-officio* Member

(E) Dr. Pardeep Singh, Veterinary Surgeon, village Khangesra, Post Office Kot wla Barwala, district Panchkula (Registration No.599) Nominated by the State Veterinary Association under Section 32(1)(e)

(F) Registrar, Haryana Veterinary Council *Ex-officio* Member

2. This Council will function as per the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984, as such adopted by Haryana Veterinary Council.

3. The Head quarter of the Haryana Veterinary Council will be at Chandigarh and its term of office will be as per provisions of Section 38 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, from the date of issue of this notification in the Official Gazette.

4. The Council shall meet at least twice in a year at such time and place as may be appointed by the Council and the minutes of the meetings will be sent direct to the State Government.

VEENA EAGLETON,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandry Department.